न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

आदेश द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः– **03/2018** आवंटन निरस्ती

1. श्री हमेरसिंह पिता रोड़सिंह राजपूत निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा मृतक के बजाय –
(1/1) श्री महेन्द्रसिंह पिता हमेरसिंह जी राजपूत, निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर
(1/2) श्री रामसिंह पिता हमेरसिंह जी राजपूत, निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर
(1/3) श्री भगवतसिंह पिता हमेरसिंह जी राजपूत, निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर
(1/4) श्री मदनसिंह पिता हमेरसिंह जी राजपूत, निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर
(1/5) श्रीमती प्यारकुंवर बेवा हमेरसिंह जी राजपूत, निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर
2. श्री खुमाणसिंह पिता चेनसिंह राजपूत निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर
3. श्री भंवरसिंह पिता कुन्दनसिंह जी निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर
4. श्री वागसिंह पिता रोडसिंह राजपूत निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर
5. श्री पुना पिता परथा जी गमेती एवं समस्त ग्रामवासियान नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री उदयसिंह पिता वरदीसिंह जी राजपूत निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा जिला उदयपुर

...........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत आवंटन निरस्त कराये जाने हेतु

उपस्थितः
1. श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री कन्हैयालाल चौर्डिया, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1
3. श्री मनोज पंवार पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 22.07.19

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत आवंटन निरस्त कराये जाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि –

मौजा मजावडी तहसील गोगुन्दा के आराजी नंबर 2216 में से एक बीघा 9 बिस्वा जमीन का आवंटन अपने नाम पर गलत करवा दिया। जो कि आराजी नं. 2216/1 के रूप में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज हुआ। जिसके मिलान क्षैत्रफल अनुसार नये नंबर 3149 रकबा 0.3200 हे. भूमि किस्म बीड दर्ज है। कथित आवंटन के पूर्व न तो उद्घोषणा पत्र जारी हुआ न इसकी तामील करवायी गई। जबकि आराजी नंबर 3149 रकबा 0.3200 हे. में सार्वजनिक उपयोग हेतु ग्राम पंचायत द्वारा सीसी रोड बना है जिसमें सामुदायिक भवन बना हुआ है, कुछ हिस्से पर मंदिर भी बना हुआ है, दर्शनार्थी आते है उनके व्हीकल के स्टेण्ड के काम आ रही है। कुछ भाग पर खुमाणसिंह पिता चैनसिंह का कब्जा होकर उनके द्वारा इसका उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। इस भूमि पर विपक्षी का कही पर भी कब्जा नहीं रहा है न उसके द्वारा बाउण्ड्रीवाल की गई है। मौके पर भूमि खुली पडी हुई होकर पशु के चराई के काम आ रही है। विपक्षी द्वारा एक भी दिन न काश्त की गई न काश्त करने की कौशिश की गई। आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की गई। मिलीभगत व धौखे से खातेदारी अधिकार भी प्राप्त कर लिये गये। आवंटन के पूर्व आवंटन समिति का कोरम भी पूर्ण नहीं था। आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन नियमानुसार नहीं किया जाकर नियमों के विपरीत आंवटन किया है। कथित आवंटन के पूर्व नियम 5, 6, 7 की भी पालना नहीं की गई। न तो औक्यूपाईड व अनओक्यूपाईड भूमि की सूची जारी नहीं की गई। विपक्षी द्वारा पटवारी हल्का से मिलकर कथित आंवटन को धोखे से व मिसरिप्रजनटेशन से अपने नाम करवा लिया गया है। मौके पर कब्जा नहीं होते हुए भी कथित जमीन को बेचना चाहता है। दिनांक 09.02.18 को विपक्षी सं.1 ने भूमि विक्रय करने की बात प्रार्थीगण को आकर बतायी तब इस बात का पता चला की सार्वजनिक भूमि का आवंटन विपक्षी ने धोखे से करवाया है। अतः निवेदन है कि उक्त आवंटित भूमि पर सीसी रोड़, मंदिर एवं सामुदायिक भवन होने से भूमि की उपयोगिता सार्वजनिक होने के कारण उक्त आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त फरमाया जाकर कथित भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करवाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उनकी ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो भी शामिल पत्रावली है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा से मौके की रिपोर्ट मंगवायी गई जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मौजा मजावडी में आराजी नम्बर 3149 रकबा 0.3200हे. भूमि का आवंटन विपक्षी के लडके मनोहरसिंह द्वारा पटवारी हल्का से मिलीभगत कर नामान्तकरण गैरखातेदारी से खातेदारी करवा लिया। जबकि मनोहरसिंह स्वयं सरकारी नौकर है। विपक्षी द्वारा इस भूमि के साबिक आराजी नं. 2216 में से 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि का आवंटन अपने नाम करवा लिया। जिसके हाल नम्बर 3149 दर्ज हुये है। रकबा 0.3200है. है। इस आवंटन के पूर्व कोई उद्घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ न उद्घौषणा पत्र

की तामील करवायी गई, यहां तक की औक्यूपाईड व अनओक्यूपाईड भूमि की सूची भी जारी नहीं की गई। यह जमीन सार्वजनिक उपयोग की है। इस भूमि पर ग्राम पंचायत ने सीसी रोड बनाया है। इस आराजी पर सामुदायिक भवन बना हुआ है। यहां तक की इस जमीन के कुछ हिस्से पर मंदिर भी बना हुआ है एवं इसी जमीन का उपयोग दर्शनार्थीयो के व्हीकल के स्टेण्ड में काम आ रही है। कुछ भाग पर खुमाणसिंह पिता चैनसिंह के कब्जे में है। मौके पर आवंटी का कब्जा नहीं है। ना कोई बाउण्डीवाल बनी हुई है। यह आवंटन मनोहरसिंह अध्यापक सरकारी नौकरी में है जिसके द्वारा पटवारी हल्का से मिलकर अपने पिता व पत्नी के नाम से दो अलग अलग आवंटन करवा दियें। विपक्षी का लडका राजकीय कर्मचारी होने से व भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में नहीं आता है। विपक्षी के नाम राजस्व अभिलेख में कुल 14 खातों में 3.7309 हैक्टेयर यानी कि 17 बीघा 5 बिस्वा भूमि पूर्व से ही दर्ज है। ऐसी स्थिति में विपक्षी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की गई। यदि आवंटन कमेटी के समक्ष विपक्षी के खाते में पूर्व से ही दर्ज भूमि बता दी जाती तो आवंटन कमेटी किसी भी सूरत में विपक्षी के नाम आवंटन नहीं करती। ऐसी स्थिति में विपक्षी के नाम किया गया आवंटन खारीज योग्य है। अतः आवंटन को निरस्त फरमाया जावे। अपनी बहस की ताईद में निम्न केस लॉ पेश किये :—

1. राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के क्लोज 2 का (iii-ख), 2- R.R.D. 1990 P. 465 (Larger Bench)., 3- R.R.D. 2002 P. 1 (H.C.).,4- R.R.T. 2009 P. 1220 (R.B.),5- R.R.T. 2009 P. 64 (H.C.), 6- R.B.J. 2006 P. 168, 7- R.B.J. 1999 P. 443,8- R.B.D. 1994 P. 311,9- R.R.T. 2001 P. 1358,10- R.R.D. 1982 P. 497,11- R.R.D. 1985 P. 564, 12- R.R.D. 1995 P. 340,13- R.R.T. 2010 P. 1410, 14- R.R.D. 2001 P. 465,15- R.R.D. 2001 P. 143,16- R.R.D. 1993 P. 652,17- R.R.D. 1982 P. Noc .21.,18- R.R.D. 2005 P. 629

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अधिवक्ता प्रार्थीगण के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि उक्त आवंटन विपक्षी को दिनांक 15.12.1972 को मजमे आम में किया गया। इसके बाद 1999 में खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। आवंटन आज से लगभग 46 वर्ष पूर्व किया गया। जिसका ज्ञान प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही रहा है। प्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर इतने वर्षो बाद उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया लम्बे समय के बाद प्रार्थनापत्र पेश करने का कोई कारण नहीं बताया। विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। जिसके संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही या वाद काश्तकारी कानून के तहत ही संभव है। आवंटन नियमों के तहत कानून पोषणीय नहीं है। वर्ष 1972 में विपक्षी का पुत्र नाबालिग था और 1999 में वह किसी भी प्रकार की राजकीय सेवा में नहीं था। मंदिर आराजी नंबर 3148 पर बना हुआ है। उक्त मंदिर पर जाने हेतु रास्ता नहीं होने व बैठने ठहरने के लिए स्थान नहीं होने से उक्त भूमि ग्राम पंचायत को सार्वजनिक हितार्थ प्रदान की गई। जिसकी पट्टीका भी सार्वजनिक भवन के बाहर लगी हुई है। मौके पर मेरा कब्जा होकर भूमि को भारी लागत लगा कर काश्त योग्य बनाया है। आवंटन के इतने समय पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी के

प्रार्थनापत्र में मिथ्या व आधारहीन कथन किये गये है जो पोषणीय नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जावे। अपने कथनों की ताईद में निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये :– 2016 (2)DNJ 732 (Raj), 2009 (1)RRT 453, 2003 (2)RRT 921, 2016 (2)RRT 769 (Raj),

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा से मौके की रिपोर्ट मंगवायी गई जिसका अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया गया। विपक्षी को वादग्रस्त भूमि का आवंटन 1972 में किया गया। जो करीबन 46 वर्ष पूर्व आवंटन हुआ था। 1999 में इसके खातेदारी अधिकार विपक्षी को प्राप्त हुये थे। 1999 में विपक्षी का पुत्र राजकीय कर्मचारी था, इसके संबंध में प्रार्थी द्वारा किये गये कथनों की ताईद में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये। वक्त आवंटन विपक्षी के खातों में पूर्व से भूमि दर्ज अवश्य रही है। परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि वर्ष 1972 में विपक्षी के खाते में कुल कितनी सिंचित भूमि दर्ज रही, कितनी असिंचित भूमि दर्ज रही। जो जमाबन्दीयां हाल के खातों की प्रस्तुत की गई है उन खातों की भूमियां अधिकांश प्रथम दृष्टया देखने पर विरासत से प्राप्त होना प्रतीत होती है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी को 1972 में आवंटित भूमि को अति लम्बे समय के पश्चात आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.19 में बताया गया है कि आराजी नं. 3149 में सीसी सड़क बनी हुई है। यह सड़क चामुण्डा माताजी के मंदिर तक जाती है एवं मंदिर से दक्षिण दिशा में लगभग 7 मीटर की दूरी पर इसी आराजी में सामुदायिक भवन बना हुआ है। सीसी सड़क ग्राम पंचायत मजावडी द्वारा बनाई गई है जो मंदिर तक जाती है। उक्त सीसी सड़क व सामुदायिक भवन खातेदार की सहमति से बनाया गया है। वक्त बहस भी विपक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अपनी खातेदारी भूमि में से कुछ भूमि ग्राम पंचायत को सार्वजनिक हितार्थ प्रदान की गई है। जिसमें सीसी रोड एवं सामुदायिक भवन बना हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि विपक्षी को भूमि 1972 में आवंटन हुई थी। जिसके खातेदारी अधिकार विपक्षी को 1999 में मिले थे। उस समय विपक्षी का पुत्र मनोहरसिंह राजकीय कर्मचारी था अथवा नहीं इस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी को भूमि आवंटन हुए भी 47 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। इस भूमि की खातेदार अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जो भूमि विपक्षी की काम आ रही है वह भी विपक्षी की सहमति से दी गई है। 47 वर्ष बाद आवंटन को रद्द करना अन्याय संगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गोगुन्दा को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह विपक्षी के खाते की आराजी नम्बर 3149 रकबा 0.3200हे. भूमि में से सीसी रोड के रास्ते हेतु, सामुदायिक भवन उपयोग में आ रही

भूमि व मंदिर के प्रयोजनार्थ बैठने, ठहरने के हेतु उपभोग/उपयोग में आ रही भूमि की सही नपती कर बाद सीमाकंन, खाते से कम कर शेष भूमि विपक्षी के नाम दर्ज करे, चूंकि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ विपक्षी द्वारा अपनी सहमति से ग्राम पंचायत मजावडी को दी गई है। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग में लाई जाने वाली भूमि बिलानाम सरकार दर्ज की जावे। निर्णय की एक प्रति उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर